भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3510
दिनांक 25 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्र

3510. श्री नीरज डांगी:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में विगत पांच वर्षों के दौरान संस्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों(एडब्ल्यूसी) का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान शुरू किए गए आंगनवाड़ी केंद्रों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह सच है कि उक्त अवधि के दौरान अनेक आंगनवाड़ी केंद्रों ने कार्य करना बंद कर दिया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ड.) क्या यह भी सच है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक काफी कम है और इसमें नियमित अंतराल पर संशोधन करने की आवश्यकता है; और
(च) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसा करने का विचार रखती है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (घ) : पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य के लिए कोई नया आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत नहीं किया गया है क्योंकि आंगनवाड़ी सेवा के तहत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सभी 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र राजस्थान सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। राजस्थान सरकार के लिए कुल 62010 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए जिनमें से 61974 आंगनवाड़ी केंद्र 30.09.2020 तक की स्थिति के अनुसार कार्यशील हैं जिनका विवरण नीचे सारणी में दिया गया है :

निम्नलिखित तिथि के अनुसार डेटा	कार्यशील आंगनवाड़ी केंद्र
31.03.2016	60801
31.03.2017	61974
31.03.2018	61974
31.03.2019	61974
31.03.2020	61974
30.09.2020	61974

महामारी के प्रभाव को सीमित करने के लिए गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए। तथापि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं ने कोविड-19 अवधि के दौरान घर-घर राशन उपलब्ध कराने के लिए काम किया।

(ड.) और (च) : चूंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां और आंगनवाड़ी सहायिकाएं अवैतनिक कार्यकर्त्री हैं इसलिए उन्हें सरकार द्वारा निर्णय के अनुसार मासिक मानदेय का भुगतान किया जाता है। 01.10.2018 से भारत सरकार ने मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3000 रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये प्रति माह; लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय

2250 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये प्रति माह; आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 2250 रुपये प्रति माह कर दिया है; और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 250 रुपये प्रति माह का निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन शुरू किया है।

इसके अलावा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी अपने स्वयं के संसाधनों से इन कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय का भुगतान करते हैं।

****